न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
दौलतसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत		नायब तहसीलदार बगडी नगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री ओमप्रकाश राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29.12.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 726/2016 में नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलाण्ट को जो नोटिस जारी किया गया है, वह नोटिस स्वयं अपीलाण्ट से तामील नही करवाया जाकर अपीलाण्ट के पुत्र के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दिनांक 10.11.2016 को पेशी बताई। अपीलाण्ट पेशी पर उपस्थित हुआ, तो उसके हस्ताक्षर करवाये जाकर कहा गया कि आपको आगे पेशी बता दी जायेगी। तब आप अपने कागज लेकर आना तथा यह बताया कि खसरा नम्बर 611 पर तुम्हारा अतिक्रमण है। इस पर अपीलाण्ट ने कथन किया कि इस भूमि पर मेरा वर्षो पुराना कब्जा है तथा 50 वर्षो पुराना अपीलाण्ट के दादा के हाथ से कुंआ खुदा हुआ है। इसके पश्चात अपीलाण्ट को यह बताया गया कि आगामी तारीख पेशी पर तुम कागज लेकर आना, किन्तु इसके पश्चात न तो अपीलाण्ट को पेशी दी गई तथा न ही दुबारा नोटिस दिया। अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नही किया तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण को किसी भी रूप में परीक्षित नही किया है तथा बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम गजनाई तहसील सोजत के खसरा नम्बर 611 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर बेरा, झोपडी, बाडा का निर्माण करने तथा उक्त भूमि पर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उप तहसीलदार बगडी नगर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर उप तहसीलदार बगडी नगर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न सम्वत 2072 में अपीलाण्ट द्वारा कबजा करने पर कायम की गई पत्रावली संख्या 1065/2015 संलग्न है। इससे यह साबित होता है कि अपीलाण्ट द्वारा इसी भूमि पर सम्वत् 2072 में भी कब्जा काश्त काश्त किया था ,जिसे निर्णय दिनांक 20.11.2015 को बेदखल किया गया था जुर्माना आरोपित किया गया। उस प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.11.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नमबर 611 में अपीलाण्ट द्वारा झोपडी एवं बाडा मौके से हटा दिया है। उक्त कार्यवाही पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु पुख्ता साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त जैर अपील आदेश की पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये है, जिसमें अपीलाण्ट को पूर्व में उक्त भूमि से बेदखल करने एवं अपीलाण्ट द्वारा पुनः कब्जा करने पर धारा 91 की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना स्वीकार किया। इस तथ्य को अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी रूप में नकारा नही है। इस सम्बन्ध में राजकीय भूमि से अपीलाण्ट का कब्जा हटाने हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना बगडी नगर को निर्देशित किया गया तथा मौका मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार सोजत को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना प्रमाणित होता है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 24/2014 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली